

Janki Devi Bajaj Government Girls College, Kota



AQAR 2022-23

Criterion 7

7.1.1 Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the year

Specific facilities provided for women in terms of:

S. No	Facility	Page No
1	Safety and security	1-9
2	Counselling	10-15
3	Common Rooms	16
4	Day care centre for young children	17
5	Any other relevant information	18-19

a. Safety and Security







Channel Gates & Security Guards





CCTV surveillance



Fire extinguisher



Committees to ensure security of students and staff

OFFICE OF THE PRINCIPAL JANKI DEVI BAJAJ RAJAKIYA KANYA MAHAVIDYALAYA KOTA Phone 0744-2324489, E-mail Id: ggsckota@gmail.com

No./JDB/2023/ 01

Date: 02.01.2023

The following committees constituted by order No/JDB/2022/8099 dated 10.9.2022 are hereby modified to carry out specific tasks and run the college smoothly. All conveners/Nodal officers will keep the record of orders, documents and correspondence and act as responding officers as far as the work of respective committees are concerned. The correspondence/record must be made available to the Principal, NAAC & AAP committee whenever needed. The committees will work with new conveners and teams with immediate effect. The earlier conveners are directed to ensure the transfer of earlier files/reports/data to new conveners latest by 5th January, 2023.

11	DISCIPLINE AND ANTI RAGGING SQUAD		
	SANGEETA SINGH	Convener	
	REKHA KALANI	Member	
	GURMEET SINGH	Member	
	SMRITI JOHARI	Member	
	MOSMEE MEENA	Member	

	intellinel
INTERNAL COMPLAINT COMMITTEE FOR PREVENTION AND REDRESSAL OF SEXUAL HARRASMENT AGAINST WOMEN	
SANGEETA SINGH	Convener
RENU TYAGI	Member
SHUCHITA JAIN	Member
MADHU KHANNA	External Member

Committees to ensure security of students and staff

Programmes for safety and security

Self Defence Training Programme

2. महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राज्य महिला नीति के अंतर्गत दिनांक 19—09—2022 से दिनांक 24—09—2022 तक एक हफ्ते के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। प्राचार्य डॉ संजय भार्गव ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को सह शैक्षणिक कार्यक्रम में बढ़—चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया तथा उन्होंने कहा कि आज के दौर में बेटियां शिक्षा तकनीकी पुलिस बल के अलावा अछूते क्षेत्र जैसे रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र आदि में अपना परचम लहरा रही है। बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु राजस्थान पुलिस विभाग की प्रशिक्षण कर्ता श्रीमती मनीषा, श्रीमती सोनिया, श्रीमती मनभर, श्रीमती ज्योति, श्रीमती गीता तथा श्रीमती अक्लीन उपस्थित थे। छात्राओं को दैनिक व्यायाम एवं आत्मरक्षा के शुरुआती गुर सिखाए गए अवसर पर महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. संगीता सिंह, डॉ रेखा कालानी, डॉक्टर मनीषा शर्मा, राखी मेठी द्वारा छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। मंच का संचालन ममता डॉक्टर ममता चौधरी द्वारा किया। इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित महाविद्यालय छात्रा संघ अध्यक्ष अंजिल मीना, पैनल सदस्य सेलिन पहाडिया ने सहयोग प्रदान किया।

इस 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 20 सितम्बर 2022 को दूसरे दिन छात्राओं को तीन प्रकार के पंच बनाकर रक्षा करना, ब्लॉक बनाकर खुद का बचाव करना सिखाया गया। प्रशिक्षणकर्ता श्रीमती गीता, श्रीमती मनीषा, श्रीमती मनभर ने सरकार की तरफ से जारी महिलाओं से संबंधित फोन नंबर विशाखा गाइडलाइंस इत्यादि की जानकारी प्रदान की। ऑटो व लिफ्ट में जाते समय किन—किन बातों का ध्यान व सावधानियां रखनी चाहिए इसकी जानकारी भी दी। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. संगीता सिंह ने इन विशेष जानकारियों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया तथा डॉ. मनीषा शर्मा एवं ममता चौधरी ने कार्यक्रम संचालन में विशेष सहयोग प्रदान किया।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में तीसरे दिन 21 सितम्बर 2022 को आत्मरक्षा करने के लिए अटैक होने पर सामने वाले से किस तरह अपना बचाव करना है, ये गुर सिखाये गए। मुसीबत में फंसे बच्चों की किस तरह मदद कर सकते हैं, इस हेतु भी सुझाव दिए गए। बालिकाओं को 100 नंबर 101 नंबर तथा विशाखा गाइडलाइन के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार होने पर इस हेल्पलाइन पर कॉल कर मदद मांगी जा सकती है। आगे बताया गया कि महिलाओं की मदद के लिए सरकार द्वारा 1090, 1091 जारी किए गए हैं। अंत में महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ संगीता सिंह ने सभी छः लेडी कमांडो का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मंच संचालन राखी मेठी के द्वारा किया गया।

राज्य महिला नीति के अंतर्गत महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जानकी देवी बजाज राजकीय महाविद्यालय कोटा में राजस्थान पुलिस कोटा शहर की ओर से छः दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में चौथे दिन 22 सितम्बर 2022 को बालिकाओं को अटैक की टेक्निक दिखाई गई लड़ाई झगड़ा या मारपीट होने पर आप किस तरह से सामने वाले को नुकसान पहुंचा कर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं, इस विषय की विस्तृत जानकारी के अतिरिक्त राज्य सरकार की हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। बालिकाओं से इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में चर्चा की गई। पोक्सो एक्ट के बारे में तथा कानून से संबंधित जानकारियाँ दी गई। नाजुक हिस्सों पर अटैक कर सामने वाले को नुकसान पहुंचा कर अपनी सुरक्षा करके उसे पकड़वाया जा सके। इसके बारे में जानकारी दी गई। छात्राओं ने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए तथा महिला सुरक्षा संबंधी कानूनी जानकारी भी स्टेज पर आ कर बताई। साथ ही उन्होंनें भी स्वयं कमांडो के द्वारा निर्देशित दांव पेंच का दो—दो छात्राओं को जोड़ी में अभ्यास कर के दिखाया। अंत में महिला प्रकोष्ट प्रभारी डॉ. संगीता सिंह ने सभी लेडी कमांडो का हार्दिक आभार व्यक्त

किया। डॉ. रेखा कालानी व डॉ. ममता चौधरी द्वारा कार्यक्रम में विशेष सहयोग प्रदान किया गया। मंच संचालन राखी मेठी के द्वारा किया गया।

दिनांक 23 सितम्बर 2022 को महाविद्यालय में छः दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में पांचवे दिन बालिकाओं को व्यायाम करा कर बालिकाओं को पंच मारना, ब्लॉक करना, अटैक करना सिखाया गया विषम परिस्थित में आक्रमणकारी के कमजोर भागों पर वार कर खुद के बचाव के गुर सिखाए गए। बालिकाओं को जालसाजी साइबर क्राइम व अन्य कानूनों की जानकारी दी गई महिला पुलिसकर्मी मनभर तथा मनीषा ने छात्राओं को अगस्ती दल के बारे में बताया। छात्राओं द्वारा प्रायोगिक रूप से दांवपेच प्रदर्शित किए गए। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ संगीता सिंह ने छात्राओं के प्रयास को सराहते हुए उन्हें बधाई दी। डॉ. ममता चौधरी द्वारा आत्मरक्षा में कानून संबंधी प्रश्न पूछे गए, जिनके छात्राओं ने उत्तर दिए।

दिनांक 24—09—2022 को इस छः दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राम कल्याण मीणा जी, पुलिस उपाधीक्षक जी आर पी श्रीमती कल्पना सोलंकी जी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने शिविर के दौरान सीखे गए आत्मरक्षा दांवपेच का प्रदर्शन किया साथ ही सुरक्षा संबंधी अर्जित सैद्धांतिक ज्ञान को साझा किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राम कल्याण मीणा के द्वारा छात्राओं को महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों की जानकारी तथा सशक्त बनने की प्रेरणा दी गई। पुलिस उपाधीक्षक जी आर पी श्रीमती कल्पना सोलंकी जी द्वारा उत्साहवर्धन करते हुए छात्राओं को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ और सजग रहने की सलाह दी गई। दोनो ही अधिकारियों द्वारा आत्मसुरक्षा हेतु बहुमूल्य निर्देशन प्रदान किए गए।

शिविर में भाग लेने वाली छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्राचार्य डॉ. संजय भार्गव द्वारा छात्राओं को प्रेरणास्पद संबोधन किया गया तथा महिला प्रकोष्ठ एवं राज्य महिला नीति समिति प्रभारी डॉ. संगीता सिंह एवं समिति सदस्यों के कार्य एवं प्रयासों की सफलता हेतु बधाई दी। डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव के द्वारा दैनिक जीवन में सजग रहने की सलाह दी गई। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं विशिष्ट गतिविधि के सुचारू संयोजन हेतु महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. संगीता सिंह का, आगमन हेतु दोनो पुलिस अधिकारियों का, प्रशिक्षणकर्ता कर्मचारी 6 लेडी कमांडो, श्रीमती मनीषा राठौड़, श्रीमती सोनिया शर्मा, श्रीमती मनभर, श्रीमती गीता, श्रीमती अकलीन, श्रीमती ज्योति का हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। मंच का संचालन डॉ. ममता चौधरी द्वारा किया गया कार्यक्रम के संचालन में डॉ. रेखा कालानी, डॉ. मनीषा शर्मा व राखी मेठी द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया गया। इस अवसर पर छात्रा संघ अध्यक्ष सुश्री अंजिल मीना पैनल सिंहत उपस्थित रहीं। अन्त मे महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. संगीता सिंह द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया तथा छात्राओं को प्रशिक्षित होने के उपलक्ष्य में बधाई दी।





जेडीबी कॉलेज में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न



संदेश न्युज। कोटा.

राज्य महिला नीति के अंतर्गत महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जानकी देवी बजाज राजकीय महाविद्यालय कोटा में छह दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा व पुलिस उपाधीक्षक जीआरपी कल्पना सोलंकी रहे। इस अवसर पर छात्राओं ने शिविर के दौरान सीखे गए आत्मरक्षा दांवपेच का प्रदर्शन किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राम कल्याण मीणा ने छात्राओं को महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों की जानकारी दी। कल्पना सोलंकी ने छात्राओं को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ और सजग रहने की सलाह दी। छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्राचार्य डॉ. संजय भागंव व डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव ने दैनिक जीवन में सजग रहने की सलाह दी। मंच का संचालन डॉ. ममता चौधरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन में डॉ. रेखा कालानी, डॉ. मनीषा शर्मा व राखी मेठी ने किया। इस अवसर पर छात्रा संघ अध्यक्ष अंजलि मीना पैनल सहित उपस्थित रहीं।

कार्यकारी संपादक: संजय शर्मा M. 8852000757 *पीआरबी एक्ट के तहत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी (सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र कोटा)



b. Counselling

57	STUDENT COUNCILING, INQUIRY & MENTAL HEALTH	
	JAISHREE DAVEREY	Convener
	JAGRATI MEENA	Member
	SARITA KHANDELWAL	Member

Committees to ensure mental health of students

1. Programme on PCPNDT act, Personal Hygiene and Anaemia

दिनांक 30 अगस्त 2022 को जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में राज्य महिला नीति कार्यक्रम की श्रृंखला में 'पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट', "व्यक्तिगत स्वच्छता", तथा "छात्राओं में रक्ताल्पता एवं पोषण" इन तीन विषयों पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट पर व्याख्यान एडवोकेट एवं अभिभाषक परिषद कोटा की संयुक्त सचिव सुश्री सोनल विजय द्वारा दिया गया। उन्होंने इस एक्ट से संबंधित नियम व प्रावधानों की विस्तृत उदाहरण सहित चर्चा छात्राओं के साथ साझा की। इस एक्ट के उल्लंघन से क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में भी उन्होंने दृष्टांत देकर बताया।

डॉ. दीपा स्वामी द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता व रक्त अल्पता और पोषण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि शारीरिक स्वच्छता क्यों आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य के विशेष गुर साझा करते हुए उन्होंने बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक साथ जुड़े हुए हैं। छात्राओं में होने वाली पोषण की कमी को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से तत्व कौनसे पदार्थों में मिल सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. संजय भार्गव जी ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि छात्राएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। सभी क्षेत्रों में आज वह पुरुषों की तुलना में आगे ही हैं। साथ ही उनको अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाकर सदा उन्नित करते रहना चाहिए। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन डॉ अनिता मालव द्वारा किया गया। अंत में प्रभारी डॉ संगीता सिंह द्वारा कार्यक्रम की सफलता हेतु सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर विरुष्ठतम सदस्य डॉ प्रतिमा श्रीवास्तव सिंहत सभी सह, सहायक आचार्य, नवनियुक्त छात्रा संघ अध्यक्ष अंजिल मीना पैनल सिंहत, एन.सी.सी कैंडेट, एन.एस.एस. कार्यकर्ता एवं अन्य छात्राएं उपस्थित रहीं।







2. Programme on Awareness of Sexual Harassment act, Dowry act and Daughter's Rights on Ancestral Property

1. सितंबर माह की गतिविधियों में प्रथमतः दिनांक 17-09-2022 को एक व्याख्यान क्रिमिनल लॉयर श्रीमती निशा शर्मा द्वारा दिया गया। छात्राओं एवं महिलाओं के हितार्थ विषयों का चयन करके आयुक्तालय द्वारा भेजा गया था। इसके मुख्य बिंदु "सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013", "दहेज एक्ट" एवं "पुत्रियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार" थे। व्याख्यान में तीनों कानूनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

एडवोकेट निशा शर्मा ने छात्राओं को कानूनों का प्रयोग सजग रहकर करने की सलाह दी। साथ ही उनका दुरुपयोग ना करने की प्रेरणा भी दी। कुछ पीड़ित छात्राओं ने अपनी समस्याओं को श्रीमती निशा शर्मा से साझा किया। छात्राओं ने इस व्याख्यान के दौरान कुछ प्रश्न पूछे जिनका उत्तर श्रीमती निशा शर्मा ने अपने विस्तृत ज्ञान और उदाहरणों के माध्यम से प्रदान किया। प्राचार्य डॉ. संजय भार्गव ने छात्राओं को सजग रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी एवं और समाज की उन्नति में महिलाओं एवं छात्राओं के योगदान पर प्रकाश डाला।











राज्य महिला नीति के अंतर्गत व्याख्यान

संदेश न्युज। कोटा. जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय की महिला प्रकोष्ट प्रभारी डॉ. संगीता सिंह ने बताया कि राज्य महिला नीति के अन्तर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रंखला में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान को एडवोकेट एवं क्रिमिनल लॉयर निशा शर्मा के द्वारा दिवा गया। इस व्याख्वान के अन्तर्गत छात्राओं एवं महिलाओं के हितार्थ विषयों का आयक्तालय द्वारा चयन किया गवा था जिसके मुख्य बिन्द सैक्सुअल हैरेसमेन्ट एक्ट, दहेज एक्ट एवं पुत्रियों का पैतृक सम्पति में अधिकार रहे। मख्य वक्ता निशा शर्मा ने छात्राओं को कानुनों का प्रयोग सजग रहकर करने की सलाह दी साथ ही उनका दरूपयोग ना करने की प्रेरणा दी। इस व्याख्यान के दौरान छात्राओं ने व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में एवं सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्न भी पुछे। अन्त में डॉ. संगीता सिंह ने कार्यक्रम की सफलता के लिये सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।









3. Activities of awareness of traffic rules

दिनांक 17—10—2022 जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा में राज्य महिला नीति के अंतर्गत महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में सड़क सुरक्षा, संकेत, चालान, जुर्माना व ट्रैफिक नियमों की विस्तृत जानकारी पर आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई जिसमें छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ. संगीता सिंह के निर्देशन में प्रश्नोत्तरी का निर्माण डॉ. ममता चौधरी ने किया। इस हेतु छात्राओं को ऑनलाइन सामाग्री प्रदान की गई थी। कई पी.डी.एफ छात्राओं के ग्रुप्स में शेयर की गई थी। इससे उनको, चालान, जुर्माना, ट्रेफिक नियमों की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हुई।

महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. संजय भार्गव ने छात्राओं को इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय रहकर लाभान्वित होने का प्रेरणास्पद संदेश दिया। इस अवसर पर डॉ. रेखा कालानी, डॉ. मनीषा शर्मा एवं सुश्री राखी मेठी ने प्रश्नोत्तरी के संचालन में सहयोग प्रदान किया। प्रश्नोत्तरी में बी.एस.सी तृतीय वर्ष की छात्रा अमृता गौड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, देवप्रिया सुवालका बी.एस.सी तृतीय वर्ष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, सानिया अंजुम बी.एस.सी द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान तथा सपना झा बी.एस.सी तृतीय वर्ष ने सांत्वना पुरस्कार स्थान प्राप्त किया।









c. Common Rooms



d. Day care centre for young children





e. Any other relevant information



ATM Facility



E-Mitra Plus Kiosk



Sulabh Complex in Campus